

आवंटनादेश

बिहार सरकार,

श्रम संसाधन विभाग

प्रेषक,

एस० सिद्धार्थ,  
सचिव, श्रम संसाधन विभाग ।

सेवा में,

सचिव, बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग,  
बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक-

21-5-15

विषय: व्यय शीर्ष 2230-श्रम तथा रोजगार-01-श्रम-राज्य योजना-101-औद्योगिक संबंध-मांग संख्या-26-उप शीर्ष-0106-बिहार बाल श्रमिक आयोग का गठन (विपत्र कोड-पी 2230011010106) के अन्तर्गत निधि का आवंटन ।

महाराज,

उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-1454 दिनांक 18.05.2015 के संदर्भ में चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में 31 जुलाई, 2015 तक व्यय के निमित्त निधि का आवंटन निम्न प्रकार से किया जाता है :-

वेतन 0101	जीवन यापन भत्ता 0103	मकान किराया भत्ता 0104	परिवहन भत्ता 0105	चिकित्सा भत्ता 0106	अन्य भत्ता 0107	योग वेतन एवं भत्ते	चिकित्सा प्रतिपूर्ति 0601	यात्रा व्यय 1101	कार्यालय व्यय 1301
1715340	1847010	330000	13200	14850	39600	3960000	33000	99000	231000

वाहन का ईंधन एवं रख रखाव 1302	दूरभाष 1303	विद्युत प्रभार 1304	प्रकाशन एवं मुद्रण 1601	कॉन्फ्रेंस, कार्यशाला सेमिनार 2002	प्रशिक्षण व्यय 2003	विज्ञापन और प्रकाशन 2601	व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ 2801	कुल योग
264000	82500	66000	132000	132000	98670	99000	82500	5279670

कुल आवंटित राशि रूपये बावन लाख उनासी हजार छः सौ सत्तर मात्र ।

- यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-295/वि0 दिनांक-24.03.15, पत्रांक-3429वि0(2) दिनांक-01.04.2015 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापक-2561/ वि0 (2) दिनांक 17.04.98 के आलोक में है ।
- इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय । यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा ।
- योग वेतन एवं भत्ते में आवंटित राशि से वेतन विपत्रों की निकासी की जायेगी ।
- आवंटित राशि से हुए व्यय की सूचना विहित प्रपत्र में ससमय उपलब्ध करा दे ।
- यह आवंटन राज्य योजना के अस्थायी स्थापना से संबंधित है ।

विश्वासभाजन,

~~2015/2015~~  
(एस० सिद्धार्थ)

सचिव

ज्ञापक 6/एफ1-307/2015 श्र0सं0-

09

पटना, दिनांक

21-5-15

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

~~2015/2015~~  
(एस० सिद्धार्थ)

सचिव

ज्ञापांक 6/एफ1-307/2015 श्र0सं0-

09

पटना, दिनांक 21.5.15

प्रतिलिपि:- सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ प्रमंडलीय आयुक्त, पटना /जिला पदाधिकारी, पटना / कोषागार पदाधिकारी, विकास भवन कोषागार, नया सचिवालय, पटना /श्रमायुक्त के सचिव, पटना/ प्रशाखा-2 सरकार पक्ष/ आई.टी.मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना / प्रशाखा-6, श्रम पक्ष को दो अतिरिक्त प्रतियों के साथ एवं व्यय विवरणी शाखा प्रशाखा-6, श्रम पक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

*(सि.सि. सिद्धार्थ)*  
2015  
सचिव

1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001
1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001

1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001
1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001

1. प्रमाणित किया जाता है कि...

2. प्रमाणित किया जाता है कि...

3. प्रमाणित किया जाता है कि...

4. प्रमाणित किया जाता है कि...

5. प्रमाणित किया जाता है कि...

प्रमाणित किया जाता है कि...

प्रमाणित किया जाता है कि...

प्रमाणित किया जाता है कि...